फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

राजेन्द्र सिंह भाटी —बनाम— राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा : अपील सं. 03/2025 अन्तर्गत धारा–154(3) पेट्रोलियम अधिनियम 2002

(जीसीएमएस संख्याः 2025/143)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.11.2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह अपील जिला कलक्टर चूरू द्वारा गांव हालासर, तहसील भानीपुरा के खसरा नंबर 502 के 1225 वर्गमीटर पर इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड का पेट्रोल पंप की स्थापना बावत् जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि जिला कलक्टर, चूरू ने पेट्रोलियम नियम 2002 के नियमों विरूद्ध नवीन रिटेल आउटलेटों के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया हैं। प्रस्तावित स्थल से 30 मीटर की दूरी पर विधुत लाईन स्थित हैं, जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के द्वारा श्री दीपक कुमार बनाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका में आदेश पारित किया है कि 18 मीटर की दूरी पर विधुत लाईन होने की स्थिति में रिटेल आउटलेट की स्थापना नही करने का आदेश पारित किया हैं। इंडियन ऑयन कॉपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किसी प्रकार का 200 मीटर का कोई घटक आरेखण में नही दिखाया गया। जो पूर्णतया गलत है, क्योंकि प्रस्तावित स्थल से मात्र 92 मीटर की दूरी पर इन्टरसेक्शन हैं। राज्य उच्च मार्ग पर एवं एम.डी.आर पर डी–डूप्लीकेशन पॉलिसी की पालना की जानी अनिवार्य थी। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट चूरू के द्वारा किसी प्रकार का शपथ–पत्र ऑयल कंपनी से प्राप्त किया जाना उचित नही समझा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 07.01.2020 एवं दिनांक 02.01.2025 की पालना की जानी अनिवार्य थी। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के द्वारा इस पर कोई भी संज्ञान नही लेकर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। उक्त आउट लेट स्थल से बायों एनर्जी प्लांट की दूरी एवं उच्च क्षमता की विधुत लाईन की दूरी के संबंध में भी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट एवं टिप्पणी नहीं मांगी गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 10.12.2024 की पालना भी आज दिनांक तक नही की गई तथा न ही किसी प्रकार का कोर्ठ शपथ पत्र ऑयल कंपनी से लि गया और पूर्णतया विधि विरूद्ध कारित करते हुए आनन–फानन में पेट्रोनियम नियम 2002 की धारा 144 के तहत अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्तावित स्थल के लिए जारी किया गया और तो और मौका निरीक्षण भी नही किया गया। अतः निवेदन है कि जिला मजिस्ट्रेट चूरू द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 19.02.2025 को अपास्त करते हुए विन्दुवार संपूर्ण तथ्यों की नियमानुसार जांच की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने जिला कलक्टर, चूरू ने पेट्रोलियम नियम	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2002 के नियमों विरूद्ध नवीन पेट्रोल पंप के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। जिला कलक्टर चूरू द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रकरण के संबंधित सभी विभागों से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही नियमानुसार एनओसी जारी की गई हैं। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि के आस–पास में कोई विस्फोटक क्षेत्र व इण्डस्ट्रीयल एरिया नही हैं। साथ ही उक्त प्रस्तावित भूमि सरदारशहर से हनुमानगढ़ जाने वाले मेगा हाई–वे के मध्य बिन्दु से 40 मीटर दूरी पर स्थित है। उक्त पेट्रोल पंप की भूमि के ऊपर से बिजली की लाईन नहीं हैं और आस–पास कोई जलस्त्रोत नहीं है। उक्त प्रस्तावित भूमि आबादी क्षेत्र 1 किलामीटर दूर है और रेलवे लाईन से 30 किलो मीटर दूरी पर है। उक्त रिटेल आउटलेट अग्निशामक वाहन की पहुंच में है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख एवं उभय पक्षं की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा गांव हालासर, तहसील भानीपुरा के खसरा नंबर 502 श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मदनलाल की 1225 वर्गमीटर भूमि पर इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड का पेट्रोल पंप की स्थापना बाबत् जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 19.02.2025 जारी किया गया, जिसके विरूद्ध ही अपील प्रस्तुत हुई है। अपील अपीलांट ने अपील प्रस्तुति में अपीलाधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदेश दिनांक 19.02.2025 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत ही नहीं की। साथ ही श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मदनलाल के पक्ष में पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया, उसको उक्त प्रकरण में हितबद्ध होने पर भी पक्षकार नही बनाया गया है। जो नियमों के विपरित है। अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू अपीलाधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदेश दिनांक 19.02.2024 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट तकनीकी रूप से इस आधार पर खारिज की जाती है कि अपीलांट ना ही अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की और ना ही हितबद्ध पक्षकार को अपील में पक्षकार बनाया गया है।

तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर